ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1540
(26 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीवाई-जी का कार्यान्वायन

1540. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रान:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्व्यन के लिए निधि उपलब्धा कराने का है और यदि हां, तत्संतबंधी ब्यौ रा क्याए है;

(ख) क्याक यह सरकार के संज्ञान में आया है कि पीएमएवाई-जी के तहत स्वीबकृत आवासों का निर्माण निधि के संवितरण में देरी के कारण रुका हुआ है और यदि हां , तो तत्संरबंधी ब्यौतरा क्या;ा है

(ग) क्याध यह भी सरकार के संज्ञान में आया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीधय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यतम से निधि का आवंटन नहीं होने से पीएमएवाई-जी कार्यान्वयन में देरी हुई और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौमरा क्याध है

(घ) क्याम सरकार ने पीएफएमएस में खामी को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संरबंधी ब्यौंरा क्याक; है

(ड.) क्यात सरकार का विचार पीएमएवाई-जी के लिए निधि जारी करने का है और यदि हां , तो इस पर क्या् कार्रवाई की गई है; और

(च) पीएमएवाई-जी के लिए बकाया राशि सहित निधि जारी करने की प्रस्ताजवित तिथि क्याच है

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क), (ङ) और (च): जी हाँ। मार्च, 2024 तक मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को समग्र रूप से सहायता प्रदान की जा सके। योजना के दिशा-निर्देशानुसार सरकार लक्ष्य प्राप्ति और निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार केंद्रीय अंश का जारी किया जाना शेष लक्ष्यों , लंबित देयता, राज्य अंश को जारी करने सहित निधियों के उपयोग, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने आदि पर निर्भर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2016 से पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश जारी कर रहा है और अब तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1,79,255.80 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

(ख): जी नहीं। पीएमएवाई-जी के तहत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कुल लक्ष्यों में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.44 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 21.07.2022 की स्थिति के अनुसार 1.89 करोड़ आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद मंत्रालय राज्यों को संबंधित ट्रेजरी में केंद्रीय अंश जारी करता है। राज्यों की ओर से राज्य कोषागार से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते (एसएनए) में केंद्रीय अंश को स्थानांतरित करने और संबंधित राज्य अंश जारी करने में देरी होती है। राज्यों द्वारा लाभार्थियों को आवासों की मंजूरी में देरी के कारण आवासों के निर्माण में देरी होती है। 22.7.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेष राशि (जिसमें राज्य ट्रेजरी में लंबित लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी निधि और जारी नहीं किया गया राज्य अंश शामिल है) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-जी के तहत निधियों का केंद्रीय अंश समय पर जारी करना सुनिश्चित करता है। मंत्रालय पीएफएमएस से संबंधित मुद्दों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों, यदि कोई हो, का शीघ्रता से समाधान करता है।

* * *

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1540 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमएवाई-जी के तहत राज्य के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अव्ययित शेष (22.07.2022 की स्थिति के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अव्ययित शेष (करोड़ रु में)
1	अरुणाचल प्रदेश	112.05
2	असम	2603.27
3	बिहार	3,207.00
4	छत्तीसगढ़*	783.00
5	गोवा	0
6	गुजरात	242.2
7	हरियाणा	2.06
8	हिमाचल प्रदेश	5.12
9	जम्मू और कश्मीर	186.1
10	झारखंड	441.33
11	केरल	70.53
12	मध्य प्रदेश	1766.14
13	महाराष्ट्र	1,185.65
14	मणिपुर	102.17
15	मेघालय	57.47
16	मिजोरम	83.84
17	नागालैंड	12.43
18	ओड़िशा	1,112.81
19	पंजाब	0.15
20	राजस्थान	512.35
21	सिक्किम	1.06
22	तमिलनाडु	172.5
23	त्रिपुरा	88.44

24	उत्तर प्रदेश	661.15
25	उत्तराखंड	39.61
26	पश्चिम बंगाल	1,429.70
27	अण्डमान और निकोबार	3.33
28	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	48.38
29	लक्षद्वीप	0
30	पुदुचेरी**	-
31	आंध्र प्रदेश	0
32	कर्नाटक	0
33	तेलंगाना**	-
	कुल	14929.84

दिनांक: 22.07.2022 की आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार

*छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार 562 करोड़ रुपये के राज्य अंश को जारी करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद तदनुरुपी राज्य अंश जारी करने में सक्षम नहीं है।

** पुडुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।